

87



दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना -2021 की समीक्षा
Master Plan Review-2021

OFFICE OF THE DIR (PIO.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy. No. 2638
Dated 7/5/12

पंजीकरण फार्म
REGISTRATION FORM

P-1

“ओपन हाउस मीट्स”
“OPEN HOUSE MEETS”

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए
Form to be filled by Participant

नाम Name	Umed Singh Anraawat
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	Individual, Delhi Grams & Suthar Madhalekher 360
वर्तमान स्थिति Present Position	RWA
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	Vill P.O Bawana Delhi 39 # No 270 Vill P.O Bawana TUE 9250908473 Delhi
फैक्स : Fax :	-
ई-मेल E-mail	-
पता : Address :	-
हस्ताक्षर : Signature :	<i>Umed Singh Anraawat</i>
तिथि : Date :	30/4/2012

“अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं

“Submit your registration form at the venue of Open House meets.”

566



भारत सरकार द्वारा संप्रतीक और नाम अधिनियम 1950 के अंतर्गत स्वीकृत

पंजी० सं० S-59990

दिल्ली ग्राम सुधार महासभा (360)

द्वारा संचालित
(दिल्ली ग्राम विकास पंचायत)

श्री० राजेन्द्र सिंह सोलंकी
प्रधान
9811953942

W.Z 548 B/3 नरायणा-गांव नई दिल्ली-110028
फोन : 25776269

डॉ० रामनिवास सहरावत
महामंचिव
9811453570

क्रमांक.....

दिनांक..... 30.4.2012

श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय,
दिल्ली विकास प्राधिकरण,
विकास सदन, आई.एन.ए.,
नई दिल्ली-110023.

विषय: दिल्ली के गाँवों के हितों की रक्षा हेतु दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में संशोधन हेतु एक्सपर्ट कमेटी को सुझाव

मान्यवर,

उपरोक्त विषय पर निवेदन है कि दिल्ली सरकार ग्रामसभा की जमीनों पर खन्ता डाल कर तथा "राजीव रत्न आवास योजना" के अन्तर्गत झुग्गी-झोपड़ीवासियों के लिए फ्लैटों का निर्माण करके बड़े ही सुनियोजित ढंग से गाँवों की हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक विरासत को तहस-नहस कर देना चाहती है। इस संबंध में अनेकों प्रतिवेदन सरकार को भेजे गये थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार अपने अडियल रवैये के कारण ग्रामीणों के हितों की उपेक्षा जानबूझ कर करना चाहती है।

वास्तव में, ग्राम सभा की खाली पड़ी जमीनों का उपयोग गाँवों की भलाई के लिए ही होना चाहिये। इन जमीनों पर फलदार बाग-बगीचे लगा कर पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है या फिर इन पर हस्पताल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय, औषधालय, खेल-कूद का मैदान व स्टेडियम, पार्क आदि बनने चाहिये। गाँववासियों को रिहायशी प्लॉट भी मिलने चाहिये। गाँवों की आबादी कई गुना बढ़ चुकी है लेकिन उन्हें रिहायशी भूखण्ड आवंटित ना करके उन पर झुग्गियों बसाने का बेवकूफाना फैसला सरकार ने लिया है।

गाँव की सम्पत्तियों से गृहकर से पूर्णतया छूट, दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धारा 81 को खारिज करना, फिरणी रोड़ से डेढ़ किलोमीटर तक की परिधी में बने सभी मकानों की गाँव की स्वाभाविक रूप से बढी आबादी मान कर लाल डोरा के समान सभी सुविधाएँ प्रदान करना, गाँव के गरीब परिवारों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाना, भूमिहीनों को 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत आवंटित रिहायशी व कृषि योग्य भूमि का मालिकाना हक प्रदान करना, शहरीकृत व ग्रामीण क्षेत्र के गाँवों में मकान बनाने के लिए भवन-निर्माण नीति में छूट आदि-आदि मांगें सरकार की ग्रामीण विरोधी नीतियों के कारण लम्बित पड़ी है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये मास्टर प्लान-2021 में संशोधन हेतु बनी एक्सपर्ट कमेटी से हमारा अनुरोध है कि दिल्ली के गाँवों को "कूड़ाघर" बनाने के बजाय उनकी बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहर व प्राचीन पहचान बनाये रखने तथा उनके योजनाबद्ध विकास के लिए निम्नलिखित प्रावधान किये जायें :-

1. दिल्ली के सभी 364 गाँवों (136 शहरीकृत तथा 228 ग्रामीण) को दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्धारित भवन निर्माण नीति से पूर्णतया मुक्त रखा जाये और इस संबंध में दिल्ली नगर निगम को केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को अविलम्ब वापिस लिया जाये।
2. जिन शहरीकृत गाँवों में चकबन्दी नहीं हो पाई थी तथा मजबूरीवश परिवार बढने के कारण कृषि भूमि पर निर्मित मकानों को दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम-1954 की धारा 23(3) के अन्तर्गत लाल डोरा घोषित करके नियमित किया जाये। इस संदर्भ में, सभी गाँवों के फिरणी रोड़ से डेढ़ किलोमीटर तक की परिधी में बने सभी मकानों की गाँव की स्वाभाविक रूप से बढी आबादी मान कर लाल डोरा के समान सभी सुविधाएँ प्रदान की जायें।
3. शहरीकृत व दिल्ली देहात के गाँवों के निवासियों को उनके मकानों का मालिकाना हक दिया जाये तथा उन्हें लाल डोरे का प्रमाण-पत्र एक सरल प्रक्रिया के द्वारा दिया जाये।



भारत सरकार द्वारा संप्रतीक और नाम अधिनियम 1950 के अंतर्गत स्वीकृत

पंजी० सं० S-59990

दिल्ली ग्राम सुधार महासभा (360)

द्वारा संचालित
(दिल्ली ग्राम विकास पंचायत)

चौ० राजेन्द्र सिंह सोलंकी
प्रधान
9811953942

W.Z 548 B/3 नरायणा-गांव नई दिल्ली-110028
फोन : 25776269

डॉ० रामनिवास सहरावत
महामंचिव
9811453570

क्रमांक.....

- 2 -

दिनांक.....

4. दिल्ली देहात के सभी गाँवों को मेट्रो रेल से जोड़ा जाये। बड़े खेद का विषय है कि दिल्ली मेट्रो रेल का विस्तार दिल्ली से बाहर गाजियाबाद, नोयडा, गुडगाँव व फरीदाबाद तक तो कर दिया गया है लेकिन दिल्ली के गाँवों को इस सुविधा से अभी तक पूर्णतया वंचित रखा गया है। बवाना, नरेला, टीकरी आदि गाँवों में बड़े-बड़े औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण कर दिया गया है अतः मेट्रो रेल का विस्तार सिंधू बार्डर, लामपुर बार्डर, औचन्दी बार्डर, टीकरी बार्डर, नजफगढ़-ढांसा बार्डर, धुम्नहेड़ा बार्डर आदि तक होना जरूरी हो गया है।
5. चूंकि एन.सी.आर. बोर्ड का गठन हो चुका है अतः बवाना गाँव से सैनेटरी लैंडफिल को हटा कर एन.सी.आर. में बनाया जाये जिससे किसी को भी तकलीफ न हो।
6. प्रत्येक गाँव के चारों ओर कम-से-कम 20-25 एकड़ जमीन बच्चों के खेलने तथा परम्परागत खेलों व दंगलों के आयोजन हेतु, सामाजिक त्यौहार जैसे रामलीला व दशहरा आदि मनाने तथा अन्य इसी प्रकार के आयोजनों हेतु उपलब्ध करवाई जाये। बदलते परिवेश में गाँव की सीमा निर्धारित करने के लिए प्रत्येक गाँवों के चारों ओर 30 मीटर के एक फिरणी रोड़ का निर्माण किया जाना आवश्यक हो गया है।
7. प्रत्येक गाँव में बड़े-बड़े पार्क बनाये जाने चाहिए एवं बागों और वनों के संरक्षण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध करवाई जाये। इस हेतु प्रत्येक गाँव में ग्राम सभा की काफी भूमि उपलब्ध है।
8. ग्रामसभा की भूमि का इस्तेमाल केवल गाँववासियों को अधिकतम सुविधाएँ प्रदान करने हेतु होना चाहिये। इस भूमि का उपयोग स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों आदि के निर्माण एवं भूमिहीन ग्रामवासियों को रिहायशी भूखण्ड प्रदान करने हेतु होना चाहिये। गाँवों के आसपास जे0जे0 कालोनी हरगिज-हरगिज न बसाई जाये क्योंकि इससे गाँवों की संस्कृति दूषित हो रही है।
9. दिल्ली देहात में दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज खोलने हेतु, पूसा कृषि संस्थान, एन0सी0ई0आर0टी0, एम्स, आई0आई0टी0 आदि शैक्षणिक व शोध-संस्थानों के कैम्पस स्थापित करने के लिए कम-से-कम 1000 एकड़ अथवा इससे अधिक आवश्यक भूमि उपलब्ध करवाई जाये।

हमें आशा ही नहीं वरन् विश्वास है कि दिल्ली के गाँवों के योजनाबद्ध विकास हेतु उपरोक्त सुझावों पर अमल करके मास्टर प्लान-2021 में आवश्यक संशोधन किया जाये ताकि दिल्ली के सभी गाँवों का हर प्रकार से भला हो सके।

भवदीय,

रामनिवास सहरावत
महामंचिव

प्रतिलिपि सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- (1) डा0 मनमोहन सिंह, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001.
- (2) श्रीमती शीला दीक्षित, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली - 110002.
- (3) श्रीमान उपायुक्त (राजस्व), (उत्तर-पश्चिम जिला), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, गाँव कंझावला, दिल्ली - 110081
- (4) श्रीमान मुख्य संवाददाता, दैनिक जागरण, 302, वर्धमान प्लाजा, डी-14, सैन्ट्रल मार्केट, प्रशान्त विहार (बाहरी रिंग रोड़), दिल्ली-110085 को इस निवेदन के साथ कि वे कृपया अपने समाचार-पत्र में उपरोक्त को उचित स्थान देकर गाँवों की मूल पहचान को बनाये रखने में मदद करें।